

प्रपत्र VII
बिहार सरकार,
समाहर्ता-सह-समुचित सरकार
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

पत्रांक...../भू-अर्जन, किशनगंज दिनांक.....

चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा एस.एस.बी. 19^{वीं} बटालियन, के बी.ओ.पी. कैम्प खटखटी परिसर हेतु मौजा चुरली, थाना नं. 15 में कुल 4.00 (चार एकड़) एकड़ भूमि अपेक्षित है।


इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 4.00 (चार एकड़) एकड़ है और जो मौजा चुरली, थाना नं. 15, थाना-कुर्लीकोट, अचल ठाकुरगंज, जिला किशनगंज में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र	ग्राम / थाना नं	अंचल	खाता सं०	सर्वे भूखण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड सं०)			
									उ०	द०	पू०	प०
1	चुरली / 15	ठाकुरगंज	258	967 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.9100	गुलबहार ई. पिता-रोशन अली सा.-कुर्लीकोट	नीज	खेसरा 2761 2760	खेसरा 969 970	रास्ता
2	तदैव	तदैव	258	968	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.0200	गुलबहार ई. पिता-रोशन अली सा.-कुर्लीकोट	खेसरा 967	खेसरा 967	खेसरा 969	खेसरा 967
3	तदैव	तदैव	258	969	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.0300	गुलबहार ई. पिता-रोशन अली सा.-कुर्लीकोट	खेसरा 970	खेसरा 970	खेसरा 970	खेसरा 968
4	तदैव	तदैव	258	970	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.1400	गुलबहार ई. पिता-रोशन अली सा.-कुर्लीकोट	खेसरा 976	खेसरा 971	खेसरा 971	खेसरा 969 967
5	तदैव	तदैव	258	971 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.2430	गुलबहार ई. पिता-रोशन अली सा.-कुर्लीकोट	खेसरा 975	खेसरा 2758	नीज खेसरा	खेसरा 970
6	तदैव	तदैव	139	976 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.0660	गुलबहार ई. पिता-रोशन अली सा.-कुर्लीकोट	नीज खेसरा	खेसरा 975 970	खेसरा 975	खेसरा 967
7	तदैव	तदैव	258	975 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.1160	गुलबहार ई. पिता-रोशन अली सा.-कुर्लीकोट	खेसरा 976	खेसरा 971	नीज खेसरा	खेसरा 970
8	तदैव	तदैव	235	2760	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.6400	दिलबहार, पिता-रमजान अली ई सा.-कुर्लीकोट	खेसरा 967	रास्ता	खेसरा 2753 2759	खेसरा 2761
9	तदैव	तदैव	235	2759	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.2600	दिलबहार, पिता-रमजान अली ई सा.-कुर्लीकोट	खेसरा 967	खेसरा 2753	खेसरा 2758 2754	खेसरा 2760
10	तदैव	तदैव	495	2753	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.3300	सफीकुल्लाह, पिता-बली बकस ई.	खेसरा 2759 2754	रास्ता	खेसरा 2751	खेसरा 2760

11	तदैव	तदैव	139	2758 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.2500	मो. जाकीर हुसैन, पिता-शे. गुलवहार	खेसरा 971	खेसरा 2754	खेसरा नीज	खेसरा 2759
12	तदैव	तदैव	139	2754 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.1150	मो. फारुक ई. पिता-पिता-गुलवहार	खेसरा 2758	खेसरा 2753 2751	खेसरा नीज	खेसरा 2759
13	तदैव	तदैव	235	2751 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.1750	मो. वारीश ई. पिता-गुलवहार, -कुर्लीकोट सा.	खेसरा 2754	नीज, खेसरा 2752	नीज खेसरा	खेसरा 2753
14	तदैव	तदैव	235	2752	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.0200	मो. वारीश ई. पिता-गुलवहार, -कुर्लीकोट सा.	खेसरा 2751	खेसरा 2735	खेसरा 2751	रास्ता
15	तदैव	तदैव	139	2761 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.6850	गुलवहार ई. पिता-रमजान अली सा.-कुर्लीकोट	खेसरा 967	रास्ता	खेसरा 2760	रास्ता
Total							4.0000					

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज है, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

 समाहर्ता-सह-समुचित सरकार,
 किशनगंज।


ज्ञापांक 796 / जि. भू-अर्जन, किशनगंज, दिनांक 28.7.20

प्रतिलिपि: निदेशक, भू-अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिघोषणा की तीन प्रतियाँ सी.डी. सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित जिला गजट की दस-दस (10-10) प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

 समाहर्ता-सह-समुचित सरकार,
 किशनगंज।

ज्ञापांक...७९९.../जि.भू-अर्जन, दिनांक...२८.७.२०

- प्रतिलिपिः प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है अधिघोषणा की प्रति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचनापट एवं ग्राम पंचायत के सूचनापट पर कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपिः अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है अधिघोषणा की प्रति का तामिला सभी संबंधित रैयतों/संबंधित पंचायत के सरपंच/मुखिया को कराते हुये तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, अधिघोषणा की प्रति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचनापट पर भी कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपिः जिला अवर निबंधक, किशनगंज/अवर निबंधक, ठाकुरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपिः अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अधिघोषणा की प्रति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचनापट पर कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपिः आई.टी., मैनेजर, समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषणा की प्रति का प्रकाशन जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर करने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपिः सेनानायक, एस.एस.बी. १९^{वीं} बटालियन, ठाकुरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
किशनगंज।